

DOB:

DOJ:

DOD:

DOA:

एस.आर - 1
SR-1छुट्टी की अर्जी का फार्म / FORM OF APPLICATION FOR LEAVE
(अनुपूरक नियम 216 देखिए)/(See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी: - मद सं. 1 से 1

1 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।

Note:- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted

1.	प्रार्थी का नाम/Name of applicant	
2.	लागू होने वाली छुट्टी नियमावली Leave rules applicable	CCS (Leave) Rules 1972
3.	पद/Post held	
4.	विभाग, कार्यालय और अनुभाग/Department, Office and Section	IA&AD, O/o the Pr. A.G. (Au) Punjab, Chd,
5.	वेतन/Pay	
6.	वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते/House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowance drawn in the present post	As admissible
7.	मांगी गई छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख/Nature and period of leave applied for and date from which required	
8.	शनिवार/रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हों, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहता हूँ/ Saturday/Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/suffixed.	Saturday/Sunday prefixed/suffixed
9.	छुट्टी का कारण/Ground on which leave is applied for	
10.	पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि/Date of return from last leave and the nature and period of that leave.	
11.	मेरा विचार आगामी छुट्टी में के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत लेने का है/नहीं है।/I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years..... during the ensuing leave.	-
12.	(क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii)/संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्य न होती। (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during the leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81, (b)(ii) rule 11(c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.	
12.	(ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग-पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान - जो मूल नियम 81 (ग) (iii)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा। (b) I undertake to refund the leave salary drawn during the leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/Rule 11(d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.	
तारीख/Date.....		प्रार्थी के हस्ताक्षर Signature of applicant
13.	नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश/ Remarks and/or recommendations of the Controlling Officer.	
तारीख / Date.....		हस्ताक्षर / Signature पदनाम / Designation
छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE (राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार द्वाारा) (By Accountant General in the case of gazetted officers)		
14.	प्रमाणित किया जाता है कि तक दिन के लिए के.सि.से. (अवकाश) नियमावली 1972 के नियम के अधीन (छुट्टी की किस्म) अनुमत्य है। Certified that (Nature of leave) for from to is admissible under rule of the CCS (Leave) Rules 1972.	
तारीख / Date.....		हस्ताक्षर / Signature पदनाम / Designation
15.	*स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश: - *Orders of the sanctioning authority: -	
तारीख / Date.....		हस्ताक्षर / Signature पदनाम / Designation

* यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी की उसी पद या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।

* If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.

No.

Dated: